

Second APPEAL/COMPLAINT- Facilitation Memo



Central Information Commission

CIC Bhawan, Baba Gangnath Marg, Munirka,
New Delhi - 110 067

DATE : 10-07-2020

Diary No: 677416 / 2020

Uttar pradesh Information Commission 7/7A, RTI Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow,
Uttar Pradesh

Madam/Sir,

A Second Appeal/Complaint dated 10-07-2020 filed by Sh/Smt./Ms. AMIT KUMAR SHARMA in this Commission against Department of Higher Education is sent herewith for necessary action as the same pertains to Uttar Pradesh Information Commission.

Enclosed as above

Deputy Registrar(CR)

Copy To

AMIT KUMAR SHARMA

223/1 LANE NO 12 DURGA NAGAR

Firozabad-283203

Uttar Pradesh, India

परिशिष्ट-1

सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियम-12 के तहत आदेश वापसी आवेदन
(दो प्रतियों में)

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग,
"RTI भवन", 7/7/ए, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

1)	अपील/शिकायत संख्या (जिससे आदेश वापसी आवेदन सम्बन्धित है)	ए.एस. 03/262/सी/2020 रजि.ने. 164944
2)	आवेदक का नाम/पता/ मो0नं0	अमित कुमार शर्मा पुत्र जी विनोद कुमार शर्मा 223/1 दुर्गा नगर कस्बा इंदूर कालेज कसाना पिरोजाबाद 203203
3)	जिस आदेश की वापसी की प्रार्थना की गयी है, उसकी तिथि	09/8/24
4)	क्या उक्त आदेश, आवेदक का कोई दोष न होते हुए भी, आवेदक को बिना सुने पारित किया गया है? (/करें)	हाँ/नहीं नहीं
5)	(i) क्या आयोग द्वारा प्रकरण की सुनवाई व निस्तारण नियत तिथि से भिन्न तिथि में कर दिया गया है? (/करें)	हाँ/नहीं नहीं
	(ii) यदि हाँ, तो क्या आवेदक का कोई दोष न होते हुये भी वह उक्त सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सका? (/करें)	हाँ/नहीं नहीं
6)	उक्त आदेश की जानकारी आवेदक को होने की तिथि	24/8/2024
7)	आदेश वापसी के आधार	
8)	अनुतोष	जो आवेदक ठितकर है।

निम्न प्रपत्र संलग्न करें :-

- 1) जिस आदेश की वापसी की प्रार्थना की गयी है, उसकी प्रति
- 2) अन्य प्रपत्र, जिन पर आदेश वापसी प्रार्थना पत्र निर्भर हो
- 1) आधार कार्ड का दस्तावेज
- ii)
- iii)

सत्यापन

मैं अमित कुमार शर्मा (आवेदन कर्ता) पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री विनोद कुमार शर्मा
निवासी 223/1, दुर्गा निगर कस्बे का इंटर कॉलेज के सामने एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि
फिरोजाबाद
मैंने प्रश्नगत आदेश के विरुद्ध कोई अन्य आदेश वापसी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। और जहाँ तक मेरी
जानकारी और विश्वास है, इस प्रार्थना पत्र में उपलब्ध कराए गए ब्योरे सत्य एवं सही हैं और मैंने कोई सारवान
तथ्य छुपाया नहीं है।

स्थान: फिरोजाबाद

दिनांक: 20/09/2024

Amit Kumar
आवेदक के हस्ताक्षर

शिकायत संख्या : एस-03-26/सी/2020
श्री अमित कुमार शर्मा बनाम जनसूचना अधिकारी/कार्या0 महानिदेशक, उच्च शिक्षा, प्रयागराज।
समक्ष : श्री गिरजेश कुमार चौधरी, मा0 राज्य सूचना आयुक्त।

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गयी। शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी/जनसूचना अधिकारी की ओर से उनके प्रतिनिधि डा0 विष्णु मिश्रा उपस्थित हुए।

शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार, अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत अपने सूचना आवेदन पत्र 6(1) दिनांकित-02.03.2020 के माध्यम से कतिपय बिन्दुओं की सूचनाएं मांगी गयी हैं। विपक्षी/जनसूचना अधिकारी द्वारा संतोषजनक सूचना न उपलब्ध कराये जाने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा आयोग के समक्ष अधिनियम की धारा 18 के तहत दिनांक-26.11.2020 को द्वितीय अपील योजित की गयी। तत्पश्चात सुनवाई तिथि नियत करते हुए उभय पक्ष को पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस प्रेषित की गयी।

जनसूचना अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि आयोग के पूर्व आदेश दिनांक-12.06.2024 के क्रम में वह शिकायतकर्ता को मूल शपथ-पत्र पर सूचनाएं आयोग के समक्ष प्राप्त करायीं। जिसकी एक छायाप्रति आयोग की पत्रावली पर संलग्न की गयी। जनसूचना अधिकारी द्वारा यह भी कथन किया गया कि अन्य कोई सूचना उनके कार्यालय में शेष नहीं है।

उपरोक्तानुसार, जनसूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त करायी गयी सूचनाओं को पूर्ण तथा सारवान मानते हुए शिकायत को और लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है, परिणामस्वरूप उक्त के प्रकाश में शिकायत निस्तारित किये जाने योग्य है।

शिकायत निस्तारित की जाती है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09.08.2024

